139

[2022] 11 एस. सी. आर. 139

ए.

विदर्भ उद्योग पावर लिमिटेड v.

एक्सिस बैंक लिमिटेड

(2021 की सिविल अपील संख्या 4633) 12 जुलाई, 2022

बी.

[इंदिरा बनर्जी और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 -एस. 7 (5) (ए)-की व्याख्या-विधानमंडल ने अपने विवेक में एस में 'मे' शब्द का उपयोग किया है।7(5)(क) एक निगमित ऋणदाता के खिलाफ एक वित्तीय लेनदार द्वारा शुरू किए गए सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदन के संबंध में संहिता-यह न्यायिक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को एक वित्तीय लेनदार के आवेदन को स्वीकार करने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।7 सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए संहिता-वित्तीय ऋण का अस्तित्व और भुगतान में चूक केवल वित्तीय लेनदार को सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन करने का अधिकार देती है-एन. सी. एल. टी. को प्रासंगिक कारकों-बिजली पर अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है।

सी.

डी.

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:धारा 7 (5) (ए)-चाहे विवेकाधीन हो या अनिवार्य-आयोजितःविवेकाधीन है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:एस के बीच अंतर।7(5)(ए) और एस।9(5)(क)-चर्चा-विधानमंडल का उपयोग 'मे' में किया जाता है।7(5)(क) आई. बी. सी. का लेकिन एस. के अन्यथा लगभग समान प्रावधान में एक अलग शब्द 'होगा'।9(5)(क) यह दर्शाता है कि दोनों प्रावधानों में 'हो सकता है' और 'होगा' का उद्देश्य एक अलग अर्थ व्यक्त करना है-विधायिका का इरादा s।9(5)(ए) आई. बी. सी. का अनिवार्य होना और एस।7(5)(क) आई. बी. सी. का विवेकाधीन होना-सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए एक परिचालन लेनदार का आवेदन। 9(2) आई. बी. सी. को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिया जाना आवश्यक है यदि आवेदन हर तरह से पूरा हो गया है और आई. बी. सी. की आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है। शब्द और वाक्यांशःमई और शॉल-तथ्य का अनुमान और कानून का अनुमान-चर्चा-आम तौर पर "मई" शब्द निर्देशिका है-अभिव्यक्ति "स्वीकार कर सकती है" स्वीकार करने के लिए विवेकाधिकार प्रदान करती है-शब्द "का उपयोग" एक अनिवार्य आवश्यकता को अभिनिर्धारित करता है-शब्द

"का उपयोग" एक धारणा को बढ़ाता है कि एक प्रावधान अनिवार्य है-प्रावधान के अनिवार्य होने के बारे में प्रथम दृष्टया धारणा को अन्य विचारों द्वारा खंडन किया जा सकता है जैसे कि

ई.

एफ.

जी.

एच.

139 ए.

140 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

अधिनियमन का दायरा और निर्माण से होने वाले परिणाम।

क़ानूनों की व्याख्याःव्याख्या के नियम-किसी क़ानून की व्याख्या का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत शाब्दिक व्याख्या का नियम है-उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब किसी क़ानून के सादे शब्द अस्पष्ट हों या यदि शाब्दिक रूप से समझा जाए, तो प्रावधान क़ानून के उद्देश्य को रद्द कर देगा या अन्यथा एक बेतुका परिणाम की ओर ले जाएगा।

बी.

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के बीच अंतर-चर्चा की गई।

सी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** अपीलीय प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.)** ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** टी**.)** को केवल यह देखने की आवश्यकता थी कि क्या कोई ऋण था और निगमित देनदार ने ऋण का पुनर्भुगतान करने में चूक की थी**,** और ये दोनों पहलू**,** यदि संतुष्ट हो जाते हैं**,** तो सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** को बढ़ावा देंगे। वित्तीय ऋण का अस्तित्व और उसके भुगतान में चूक ने केवल वित्तीय लेनदार को सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** की शुरुआत के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** टी**.)** को वैधानिक नियंत्रण के तहत संचालित एक बिजली उत्पादन कंपनी के खिलाफ सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** की शुरुआत की व्यवहार्यता**,** इस न्यायालय में लंबित एम**.** ई**.** आर**.** सी**.** की अपील का प्रभाव**,** ऊपर निर्दिष्ट ए**.** पी**.** टी**.** ई**.** एल**.** का आदेश और अपने मौजूदा प्रबंधन के तहत निगमित ऋणदाता के सभी वित्तीय स्वास्थ्य और व्यवहार्यता सहित प्रासंगिक कारकों पर अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता थी।**[**पैरा **61] [160-**डी**-**ई**]**

डी.

ई.

2. विधानमंडल ने अपने विवेक में एक निगमित ऋणदाता के खिलाफ एक वित्तीय लेनदार द्वारा शुरू किए गए सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** के लिए आवेदन के संबंध में आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **7 (5) (**ए**)** में 'मे' शब्द का उपयोग किया है**,** लेकिन एक परिचालन लेनदार द्वारा सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** की शुरुआत से संबंधित आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **9 (5)** के लगभग समान प्रावधान में 'विल' अभिव्यक्ति का उपयोग किया है।तथ्य यह है कि विधानमंडल ने आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **7 (5) (**ए**)** में 'मे' का उपयोग किया है**,** लेकिन एक अलग शब्द**,** यानी धारा **9 (5) (**ए**)** के अन्यथा लगभग समान प्रावधान में 'विल' का उपयोग किया है**,** यह दर्शाता है कि दोनों प्रावधानों में 'विल' और 'विल' का एक अलग अर्थ है।यह स्पष्ट है कि विधानमंडल का इरादा आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **9 (5) (**ए**)** को अनिवार्य और आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **7 (5) (**ए**)** को विवेकाधीन बनाना था।एक अनुप्रयोग ए

एफ.

जी.

एच.

141

विदर्भ उद्योग पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड ए

आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **9 (2)** के तहत सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** की शुरुआत के लिए एक परिचालन लेनदार को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना आवश्यक है यदि आवेदन हर तरह से पूरा है और आई**.** बी**.** सी**.** और उसके तहत नियमों और विनियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में**,** अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं होता है**,** यदि भुगतान के लिए नोटिस या चालान परिचालन लेनदार द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को दिया गया है और परिचालन लेनदार द्वारा विवाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।आई**.** बी**.** सी**.** एक परिचालन लेनदार के बकाया को चुकाने में बेईमानी या जानबूझकर विफलता को स्वीकार नहीं करता है।**[**पारस **75** और **76] [164-**सी**-**एफ**]**

बी.

3. वर्तमान मामले में**,** न्यायनिर्णायक प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** टी**.)** ने केवल अपीलार्थी के मामले को दरकिनार कर दिया है कि अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में ए**.** पी**.** टी**.** ई**.** एल**.** द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में **1,730** करोड़ रुपये की राशि की वसूली की जा सकती थी**,** इस सरसरी टिप्पणी के साथ कि अपीलार्थी और बिजली प्राप्तकर्ता के बीच या अपीलार्थी और बिजली नियामक आयोग के बीच यदि कोई विवाद है तो वह महत्वहीन था।न्यायालय का

विचार था कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** टी**.)** और अपीलीय न्यायाधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.)** ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि एक बार यह पाया गया कि ऋण मौजूद है और एक निगमित देनदार ऋण के भुगतान में चूक कर रहा है**,** तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** टी**.)** के पास आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **7** के तहत याचिका को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** टी**.)** द्वारा पारित **29** जनवरी **2021** के विवादित आदेश और अपीलार्थी की अपील को अपास्त करनाने वाले अपीलीय प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.)** द्वारा पारित **2** मार्च **2021** के विवादित आदेश को अपास्त करना दिया गया है।**[**पारस **89,90,91] [167-**जी**-**एच**; 168-**ए**-**सी**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामभारत संघ

और ओआरएस। (2019) 4 एससीसी 17:[2019] 3 एससीआर 535-प्रतिष्ठित।

सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी बनाम जुग्गिलाल कमलापत जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य। **(2017) 16** एससीसी **143:[2017] 9** एस**.** सी**.** आर**. 743;** इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामआईसीआईसीआई

जी.

बैंक और एक अन्य (2018) 1 एस. सी. सी. 407:[2017] 8

एस**.** सी**.** आर**. 33;** ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

और ओआरएस। (2014) 2 एससीसी 1:[2013] 14 एस. सी. आर. 713; हीरालाल

रतनलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1973) 1** एस**.** सी**.** सी**. 216:**

एच.

[1973] 2 एससीआर **502;** बी**.** प्रेमानंद बनाम मोहन कोइकल

(2011) 4 एससीसी **266:[2011] 3** एस**.** सी**.** आर**. 932-**संदर्भित निर्णय के लिए संदर्भित

[2017] 9 एससीआर **743**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

[2019] 3 एससीआर **535**

प्रतिष्ठित

पैरा **35**

बी.

[2017] 8 एससीआर **33**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43**

[2013] 14 एससीआर **713**

संदर्भित किया गया है

पैरा **65**

[1973] 2 एससीआर **502**

संदर्भित किया गया है

पैरा **66**

सी.

[2011] 3 एससीआर **932**

संदर्भित किया गया है

पैरा **67**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2021 की सिविल अपील संख्या 4633।

2021 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 117 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 02.03.2021 के निर्णय और आदेश से।

डी.

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, महेश अग्रवाल, सुश्री मनाली सिंघल, प्रतीक सेक्सरिया, श्री वेंकटेश, हिमांशु सतीजा, दिव्यांग चंडीरामानी, सुहेल भुट्टन, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्तागण

अपीलार्थी के लिए।ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सैयद जाफर आलम, सिद्धार्थ रानाडे, सुश्री शिवानी खांडेकर, सुश्री हरनीत कौर, अर्जुन अग्रवाल, सुश्री समृद्धि चोटानी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

एफ.

1. दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 62 के तहत यह अपील, जिसे इसके बाद 'आई. बी. सी.' के रूप में संदर्भित विद्वान गया है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.), नई दिल्ली द्वारा 2021 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) No.117 में पारित 2 मार्च 2021 के एक फैसले और आदेश के खिलाफ है, जिसमें विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी , एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) की शुरुआत के लिए अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

जी.

2. अपीलार्थी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 (28) के अर्थ में एक उत्पादन कंपनी है और उसने 600 मेगावाट का कोयले से चलने वाला ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया है जिसमें 300 ए की दो इकाइयाँ हैं।

एच.

143

विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

एम. डब्ल्यू. क्षमता, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में बुटिबोरी औद्योगिक क्षेत्र के भीतर।

3. विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, विद्युत उत्पादन कंपनियों का व्यवसाय उक्त अधिनियम के तहत गठित राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित और नियंत्रित किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 61 से 63 के तहत, राज्य विद्युत नियामक आयोग विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रभार्य शुल्क निर्धारित करता है।

बी.

4. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एम. आई. डी. सी.) द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से, अपीलार्थी को एक समूह विद्युत परियोजना (जी. पी. पी.) के कार्यान्वयन के लिए अनुबंध प्रदान किया गया था।जी. पी. पी. को बाद में एक स्वतंत्र बिजली परियोजना (आई. पी. पी.) में बदल दिया गया।

सी.

5. अपीलार्थी को बाद में आई. पी. पी. के रूप में 300 मेगावाट की दूसरी इकाई जोड़कर अपने बिजली संयंत्र की क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई। 20 फरवरी 2013 के एक आदेश द्वारा, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, जिसे इसके बाद "एम. ई. आर. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है, ने अपीलार्थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर. आई. एल.) के बीच एम. आई. डी. सी. के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन. ओ. सी.) के अधीन एक बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी। एम. आई. डी. सी. ने बिजली परियोजना समझौते को अपनी एन. ओ. सी. प्रदान की।

डी.

6. 21 जून 2013 को, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी. सी. ई. ए.) ने नई कोयला वितरण नीति 2007 में संशोधन किया, जिसके अनुसार कोयला मंत्रालय (एम. ओ. सी.) ने 17 जुलाई 2013 को एक आदेश जारी कर कोल इंडिया लिमिटेड (सी. आई. एल.) को 78,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाली बिजली परियोजनाओं के साथ ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफ. एस. ए.) पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया।

ई.

7. 17 जुलाई 2013 को बिजली मंत्रालय ने 78,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाली बिजली परियोजनाओं की एक सूची जारी की जो सीआईएल के साथ एफएसए को निष्पादित करने के लिए पात्र थीं। अपीलार्थी को सूची में शामिल नहीं किया गया था।8. 19 जुलाई 2013 को एम. ई. आर. सी. ने आर. आई. एल. को अपीलार्थी की इकाई 1 से बिजली खरीदने की मंजूरी दी।तदनुसार, अपीलार्थी और आर. आई. एल. के बीच 14 अगस्त 2013 को एक समेकित बिजली खरीद समझौता किया गया था, जिसके तहत अपीलार्थी आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ और आर. आई. एल. अपीलार्थी के बिजली संयंत्र की दोनों इकाइयों से उत्पन्न बिजली खरीदने के लिए सहमत हुई।

एफ.

जी.

9. 21 फरवरी 2014 को, स्थायी संबंध समिति ने एक बैठक आयोजित की जिसमें एफ. एस. ए. को निष्पादित करने के उद्देश्य से इकाई 1 को जी. पी. पी. से आई. पी. पी. में बदलने के लिए अपीलार्थी के आवेदन को मंजूरी दी गई।

10. 1 अप्रैल 2014 को, अपीलार्थी ने एम. ई. आर. सी. द्वारा अनुमोदित बिजली खरीद समझौते के अनुसार आर. आई. एल. को बिजली की आपूर्ति शुरू की। 9 मार्च 2015 के एक आदेश द्वारा, 2014 के मामले No.115 में, एम. ई. आर. सी. ने वित्तीय वर्षों 2014-2015 और 2015-2016 के लिए अपीलार्थी के बिजली संयंत्र के अंतिम शुल्क को मंजूरी दी।

11. जनवरी 2016 में, अपीलार्थी ने बिजली संयंत्र चलाने के उद्देश्य से कोयले की खरीद की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप ईंधन की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कुल राजस्व आवश्यकता को पूरा करने और एम. ई. आर. सी. (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियमन 2011 के संदर्भ में शुल्क के निर्धारण के उद्देश्य से एम. ई. आर. सी. के समक्ष 2015 का मामला No.91 के रूप में एक आवेदन दायर किया।

बी.

सी.

12. 20 जून 2016 के एक आदेश द्वारा, एम. ई. आर. सी. ने 2015 के मामले No.91 का निपटारा किया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा वित्तीय वर्षों 2014-2015 और 2015-2016 के लिए दावा किए गए वास्तविक ईंधन लागत के एक बड़े हिस्से की अनुमति नहीं दी गई और वित्तीय वर्षों 2016-2017 के लिए शुल्क को भी 2019-2020 तक सीमित कर दिया गया।

डी.

13. पीड़ित होने के कारण, अपीलार्थी ने बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (ए. पी. टी. ई. एल.) के समक्ष 2016 की अपील No.192 के रूप में एक अपील दायर की, जिसमें वित्तीय वर्षों 2014-2015 और 2015-2016 के लिए वास्तविक ईंधन लागत की अस्वीकृति को चुनौती दी गई।

14. 3 नवंबर 2016 के एक आदेश द्वारा, ए. पी. टी. ई. एल. ने अपील की अनुमति दी और एम. ई. आर. सी. को निर्देश दिया कि वह अपीलार्थी को इकाई-1 के लिए खरीदे गए कोयले की वास्तविक लागत की अनुमति दे, जो एफ. एस. ए. के संदर्भ में इकाई-2 के लिए ईंधन लागत तक सीमित थी, जब तक कि इकाई-1 के संबंध में एफ. एस. ए. निष्पादित नहीं किया गया था।अपीलार्थी का दावा है कि ए. पी. टी. ई. एल. के उक्त आदेश के संदर्भ में अपीलार्थी को 1,730 करोड़ रुपये की राशि देय है।

ई.

एफ.

15. 8 दिसंबर 2016 को या उसके आसपास, अपीलार्थी ने एपीटीईएल के 3 नवंबर 2016 के आदेश में निहित निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एमईआरसी के समक्ष एक आवेदन दायर किया। तथापि एम. ई. आर. सी. ने ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय में 2017 की सिविल अपील दायर की। अपील लंबित है।

जी.

16. इस न्यायालय में एम. ई. आर. सी. की लंबित अपील को देखते हुए, अपीलार्थी ए. पी. टी. ई. एल. के निर्देशों को लागू करने में असमर्थ है। अपीलार्थी के पास अभी धन की कमी है। अपीलार्थी के अनुसार, ए. पी. टी. ई. एल. के आदेशों के कार्यान्वयन से अपीलार्थी अपनी सभी बकाया देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम होगा।

एच.

145

विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

ए.

17. आई. बी. सी. की धारा 6 और 7 प्रदान करती हैः

“6. ऐसे व्यक्ति जो निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।—जहाँ कोई निगमित देनदार चूक करता है, वहाँ एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार या निगमित देनदार स्वयं ऐसे निगमित देनदार के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकता है जैसा कि इस अध्याय के तहत प्रदान किया गया है।

बी.

7. वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत।—(1) एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से, या वित्तीय लेनदार की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, किसी निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है जब कोई चूक हुई होः

सी.

बशर्ते कि धारा 21 की उप-धारा (6-ए) के खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदारों के लिए, निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक

आवेदन उसी वर्ग के कम से कम सौ ऐसे लेनदारों द्वारा या दस प्रतिशत से कम नहीं, संयुक्त रूप से दायर किया जाएगा।एक ही वर्ग में ऐसे लेनदारों की कुल संख्या में से जो भी कम होः

डी.

ई.

बशर्ते कि वित्तीय लेनदारों के लिए जो एक अचल संपत्ति परियोजना के तहत आबंटित हैं, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन एक ही अचल संपत्ति परियोजना के तहत ऐसे आबंटितों में से कम से कम सौ या कम से कम दस प्रतिशत द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया जाएगा।एक ही अचल संपत्ति परियोजना के तहत ऐसे आबंटियों की कुल संख्या में से जो भी कम होः

एफ.

बशर्ते कि जहां किसी निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन पहले और दूसरे परंतुक में संदर्भित वित्तीय लेनदार द्वारा दायर किया गया है और दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ से पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, तो ऐसे आवेदन को तीस दिनों के भीतर पहले या दूसरे परंतुक की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए संशोधित किया जाएगा।

जी.

एच.

उक्त अधिनियम के प्रारंभ के बारे में, जिसमें विफल रहने पर आवेदन को स्वीकार करने से पहले वापस लिया गया माना जाएगा।

स्पष्टीकरण —इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, चूक में न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार के लिए बल्कि निगमित देनदार के किसी अन्य वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है।

बी.

(2) वित्तीय लेनदार उप-धारा (1) के तहत ऐसे प्रपत्र और तरीके से और उस शुल्क के साथ आवेदन करेगा जो निर्धारित किया जाए।

सी.

(3) वित्तीय लेनदार आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा -

(ए) सूचना उपयोगिता के साथ दर्ज किए गए डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड या ऐसा अन्य रिकॉर्ड या डिफ़ॉल्ट का सबूत जो निर्दिष्ट किया जा सकता है;

डी.

(बी) एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम; और

(ग) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी।(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, किसी सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड से या उप-धारा (3) के तहत वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाएगाः

ई.

बशर्ते कि यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने चूक के अस्तित्व का पता नहीं लगाया है और ऐसे समय के भीतर उप-धारा (5) के तहत एक आदेश पारित किया है, तो वह इसके लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

एफ.

(5) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि-(क) चूक हुई है और उप-धारा (2) के तहत आवेदन पूरा हो गया है, और प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है, वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकता है; या (ख) चूक नहीं हुई है या उप-धारा (2) के तहत आवेदन अधूरा है या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही ए है।

जी.

एच.

147

विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ लंबित, यह, आदेश द्वारा, इस तरह के आवेदन को अस्वीकार कर सकता हैः

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर आवेदक को अपने आवेदन में दोष को सुधारने के लिए नोटिस देगा।

बी.

(6) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उप-धारा (5) के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने की तारीख से शुरू होगी।

सी.

(7) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण-(क) उप-धारा (5) के खंड (क) के तहत आदेश वित्तीय लेनदार और निगमित देनदार को सूचित करेगा।

(ख) वित्तीय लेनदार को, यथास्थिति, ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सात दिनों के भीतर, उप-धारा (5) के खंड (ख) के तहत आदेश।"

डी.

18. 15 जनवरी 2020 को या उसके आसपास, प्रत्यर्थी , एक्सिस बैंक लिमिटेड ने अपीलार्थी के वित्तीय लेनदार के रूप में, आई. बी. सी. की धारा 7 (2) के तहत सी. पी. के रूप में एक आवेदन दायर किया। अपीलार्थी के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.), मुंबई के समक्ष 2020 का (आई. बी.) <आई. डी. 1.

ई.

19. अपीलार्थी ने सी. पी. में 2020 का एम. ए. No.570 होने के नाते एक विविध आवेदन दायर किया। (आई. बी.) 2020 का <आई. डी. 2, फरवरी 2020 में किसी समय, एन. सी. एल. टी. में आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए, जब तक कि 2017 की सिविल अपील No.372 इस न्यायालय में लंबित थी।20. 29 जनवरी 2021 के एक आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने अपीलार्थी द्वारा 2020 के सी. पी. No.264 में दायर 2020 के एम. ए. No.570 आवेदन को खारिज कर दिया और अपीलार्थी के खिलाफ शुरू किए गए सी. आई. आर. पी. पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

एफ.

21. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया:-

जी.

"19. संहिता एक विशेष कानून है।जिसका मुख्य उद्देश्य समयबद्ध तरीके से याचिका पर निर्णय लेना और यह देखने के लिए पर्याप्त कदम उठाना है कि सी. आई. आर. पी. की प्रक्रिया के दौरान भी निगमित ऋणदाता एक चालू चिंता बना रहे।

एच.

20. स्विस रिबन बनाम भारतीय संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालयः(2019) 4 एस. सी. सी. 17 ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लिए दिशा निर्धारित की है ताकि मामले को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जा सकें।माननीय न्यायालय के अवलोकन को लाभप्रद रूप से निम्नानुसार उद्धृत किया जा सकता हैः

बी.

"जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना इस बात की अंतर्दृष्टि देती है कि संहिता द्वारा क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है।संहिता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, कॉर्पोरेट देनदारों के पुनर्गठन और दिवालिया समाधान के लिए एक संहिता।जब तक इस तरह का पुनर्गठन समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का मूल्य कम हो जाएगा।

सी.

XXX

XXX

XXX

एक कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, जो एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा संकट में है, ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा।

डी.

XXX

XXX

XXX

जिस समय सीमा के भीतर समाधान प्रक्रिया फिर से होनी है, वह कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को और कमजोर होने से बचाती है, और यह देखकर अपने सभी लेनदारों और श्रमिकों की भी रक्षा करती है कि समाधान प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके, ताकि कोई अन्य प्रबंधन अपने उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित कर सके।"

ई.

21. यह अवलोकन इंगित करेगा कि कोई अन्य बाहरी मामला धारा 7 के तहत या संहिता की धारा 9 के तहत याचिका पर तेजी से निर्णय लेने के रास्ते में नहीं आना चाहिए।ऋण चुकाने में निगमित देनदार की असमर्थता या चूक करने का कारण संहिता की योजना के लिए अलग है। तत्काल आवेदन में किए गए कथन इंगित करते हैं कि विभिन्न कारकों ने स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट

देनदार को अपना व्यवसाय जारी रखने से बाधित किया।निगम ऋणदाता और ऊर्जा प्राप्तकर्ता के बीच विवाद थे और साथ ही ऊर्जा प्राप्तकर्ता के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में परिवर्तन ने भी संस्थाओं के बीच विश्वास की कमी में योगदान दिया होगा।जो भी हो, ए

एफ.

जी.

एच.

149

विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

निगमित देनदार का नियामक या प्राप्तकर्ता के साथ विवाद कंपनी याचिका में शामिल मामलों के लिए बाहरी होगा।माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों में निर्णय का संहिता की धारा 7 के तहत वर्तमान कंपनी याचिका में शामिल मुद्दों पर शायद ही कोई प्रभाव पड़ेगा।22. इस प्राधिकरण को केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या कोई ऋण हुआ है और कॉर्पोरेट देनदार पुनर्भुगतान करने में विफल रहा है।इन दोनों पहलुओं के संतुष्ट होने पर कॉर्पोरेट दिवालियापन शुरू हो जाएगा।इसलिए, प्राधिकरणों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से इस प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही किसी न किसी तरह से प्रभावित नहीं होगी।इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि इस प्राधिकरण को कंपनी याचिका पर विचार करने से अपने हाथों को रोकने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अनुरोध किया गया है। जैसा कि है, कंपनी याचिका के निपटारे में काफी देरी हुई है।तदनुसार यह उचित होगा कि कंपनी की याचिका का यथासंभव शीघ्र निपटान किया जाए।इसलिए आदेश दिया गया है।

बी.

सी.

डी.

ओ आर डी ई आर

आवेदन होना चाहिए और वही प्रतियोगिता पर अस्वीकार कर दिया जाता है।हालांकि लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।”

ई.

22. अपीलार्थी ने 29 जनवरी 2021 के उपरोक्त आदेश के खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की।उक्त अपील को इस अपील में 2 मार्च 2021 के फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

23. विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित कियाः

एफ.

“ इस अपील में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने पर हमारी सुविचारित राय है कि अपीलार्थी के पास प्रक्रिया को रोकने और सी. आई. आर. पी. पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है, जो संक्षेप में आई एंड बी संहिता की धारा 7 के तहत प्रत्यर्थी के आवेदन के प्रवेश के आदेश को पारित करने में बाधा डालने में प्रकट हुआ है।अपील में कोई योग्यता नहीं है क्योंकि हम विवादित आदेश में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं पाते हैं।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण कानून के अधिदेश और आई एंड बी प्रावधानों के अनुसार उसे जो करना है, उसके बारे में सचेत है, जो व्यावहारिक रूप से रुका हुआ है।यह अस्वीकार्य है।कानूनी प्रक्रिया का प्रवाह नहीं हो सकता है

जी.

एच.

उन विचारों पर विफल होने की अनुमति दी जाएगी जो सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 7 (4) और (5) के अधिदेश के पूर्ववर्ती हैं।योग्यता से रहित होने के कारण अपील खारिज कर दी जाती है।हालाँकि, हम कोई लागत लगाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।”

24. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने असाधारण परिस्थितियों में एन. सी. एल. टी., मुंबई के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया था, जहां अपीलार्थी प्रत्यर्थी के बकाया का भुगतान करने में सक्षम नहीं था, केवल इसलिए कि एम. ई. आर. सी. द्वारा दायर एक अपील, 2017 की अपील No.372, अपीलार्थी के पक्ष में ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित 3 नवंबर 2016 के आदेश के खिलाफ, इस न्यायालय में लंबित थी।चूंकि उपरोक्त अपील इस न्यायालय में लंबित है, इसलिए अपीलार्थी ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश के संदर्भ में 1,730 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने में असमर्थ है, जो अपीलार्थी को देय और देय है।

बी.

सी.

25. श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि बिजली उत्पादन के अपीलार्थी के व्यवसाय की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, शुल्क जिसे एम. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा विनियमित किया जाता है, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन को अपीलार्थी के खिलाफ स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

डी.

26. श्री गुप्ता ने आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) का उल्लेख किया है जिसमें यह प्रावधान है कि जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण संतुष्ट है कि चूक हुई है, और उप-धारा (2) के तहत आवेदन पूरा हो गया है, और प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है, वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

ई.

27. श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त प्रावधान के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) में उपयोग किया गया शब्द 'मई' है, जिसकी व्याख्या यह कहने के लिए की जानी चाहिए कि एन. सी. एल. टी. के लिए प्रत्येक मामले में आवेदन स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है, जहां ऋण मौजूद है।

एफ.

28. श्री गुप्ता ने तर्क दिया कि आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार एन. सी. एल. टी. को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और आई. बी. सी. के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करने में सक्षम बनाता है, भले ही ऋण मौजूद हो, किसी भी कारण से जिसे एन. सी. एल. टी. उचित समझता हो, जो कंपनी का पुनरुद्धार और मूल्य अधिकतमकरण है।श्री गुप्ता ने तर्क दिया कि यदि विधायिका का इरादा था कि ऋण के अस्तित्व पर एक आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए, तो आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) में उपयोग की जाने वाली शब्दावली 'होगी' और 'हो सकती है' नहीं।

जी.

एच.

151

विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

ए.

29. श्री गुप्ता ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 के नियम 11 पर भी भरोसा किया है, जिसे इसके बाद नीचे "नियम" के रूप में संदर्भित किया गया हैः

“11. अंतर्निहित शक्तियाँ-इन नियमों में कुछ भी न्यायाधिकरण की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो ऐसे आदेश देने के लिए आवश्यक हो जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या न्यायाधिकरण की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो।

बी.

30. श्री गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि नियमों के नियम 11 के साथ आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि एन. सी. एल. टी., ऋण के अस्तित्व और

उसके चूक की जांच करने पर, एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा, सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए एक आवेदन को स्वीकार करने या स्वीकार नहीं करने का विवेकाधिकार रखता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि एन. सी. एल. टी. के पास यह जांचने के अलावा कोई शक्ति नहीं है कि कोई ऋण मौजूद है या नहीं और तदनुसार आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

सी.

31. यह प्रदर्शित करने के लिए कि आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) के तहत सी. आई. आर. पी. आवेदन को स्वीकार करने की शक्ति विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है, उस धारा का एक सादृश्य आई. बी. सी. की धारा 10 (4) के लिए तैयार किया गया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा विवेकाधीन और अनिवार्य नहीं माना गया है।

डी.

सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी बनाम जुग्गिलाल कमलापत जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य। **1,** जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

ई.

“24. इसके अलावा, हमारा विचार है कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा उद्धृत निर्णय और उसमें निहित सिद्धांत यह तय करते समय लागू होते हैं कि चौदह दिनों की अवधि जिसके भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को परंतुक पारित करना है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रकृति में निर्देशिका धारा 7 की उप-धारा (5), धारा 9 या धारा 10 की उप-धारा (4) के परंतुक की व्याख्या करते समय भी समान रूप से लागू होगी।आखिरकार, आपत्तियों को न हटाने से आवेदक को कुछ भी लाभ नहीं होता है क्योंकि जब तक आपत्तियां नहीं हटाई जाती हैं, तब तक इस तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।इसलिए, दोषों को जल्द से जल्द दूर करना आवेदक के हित में है।”

एफ.

जी.

32. श्री गुप्ता ने तर्क दिया, और हमारे विचार में सही है, कि आई. बी. सी. का उद्देश्य पहले कंपनी को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना है, न कि इसकी मौत की घंटी बजाना।आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय या उक्त धारा की व्याख्या करते समय इस उद्देश्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।श्री गुप्ता

एच.

1 (2017) 16 एस. सी. सी 143

तर्क दिया कि जहां निगमित ऋणदाता के पक्ष में अनुकूल आदेश हैं, जिनके कार्यान्वयन से निगमित ऋणदाता अपने ऋण का परिसमापन करने में सक्षम होगा, वहां एन. सी. एल. टी. आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका की सुनवाई को स्थगित करने की शक्ति से वंचित नहीं है।

33. श्री गुप्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी अपनी वर्तमान स्थिति में बिना किसी गलती के है, लेकिन वैधानिक अधिकारियों के कारण है जैसा कि 2016 की अपील No.192 में एपीटीईएल द्वारा उल्लेख किया गया है।एम. ई. आर. सी. ने अपीलार्थी को ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित अनुकूल आदेशों का लाभ उठाने से रोका है। 34.प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता ने इस तथ्य पर जोर देते हुए इस अपील का कड़ा विरोध किया है कि अपीलार्थी कॉर्पोरेट देनदार ने प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार को अपने बकाया का भुगतान करने में चूक की थी।उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी स्वीकार किए गए चूक में होने के कारण, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने आई. बी. सी. की धारा 7 (5) के तहत प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाने से सही ढंग से इनकार कर दिया।

बी.

सी.

डी.

35. श्री मेहता ने अपनी उपरोक्त प्रस्तुति के समर्थन में स्विस का हवाला दिया

रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए**.** एन**.** आर**.** बनामभारत संघ और ओआरएस। **2.**द**.**

इस संदर्भ में श्री मेहता द्वारा दिए गए निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:-

“64. वित्तीय लेनदार के आवेदन का कारण ऋण समझौतों के तहत बकाया राशि का भुगतान न करना है।यही कारण है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) को संहिता द्वारा निरस्त कर दिया गया है और दृष्टिकोण में बदलाव लाया गया है।विधायी नीति अब "ऋण का भुगतान करने में असमर्थता" की अवधारणा से "चूक के निर्धारण" की ओर बढ़ना है।उक्त स्थानांतरण वित्तीय लेनदार को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह साबित करने में सक्षम बनाता है कि ऋण का भुगतान करने का दायित्व था और ऋणी इस तरह के दायित्व में विफल रहा है।”

ई.

एफ.

36. श्री मेहता ने तर्क दिया कि आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) ने धारा 7 (2) के तहत वित्तीय लेनदार के आवेदन को स्वीकार करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर एक अनिवार्य दायित्व डाल दिया, एक बार जब यह पाया गया कि एक कॉर्पोरेट देनदार ने वित्तीय लेनदार को अपने बकाया के पुनर्भुगतान में चूक की थी।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी) ने यही किया है।

जी.

2 (2019) 4 एस. सी. सी. 17 (पैरा 64)

एच.

153

विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

ए.

37. श्री मेहता ने तर्क दिया कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार द्वारा 15 जनवरी 2020 को एन. सी. एल. टी., मुंबई के समक्ष दायर किया गया था। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार को देय ऋण लगभग Rs.553 करोड़ था।अपीलार्थी द्वारा ऋणदाताओं के संघ को दिया गया कुल ऋण, जिसमें प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार प्रमुख बैंक है, लगभग Rs.2727 करोड़ था।

बी.

38. श्री मेहता ने तर्क दिया कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समवर्ती निष्कर्षों के बावजूद कि चूक की घटना विवादित नहीं है, अपीलार्थी निगमित देनदार ने किसी न किसी बहाने से दिवालिया कार्यवाही में देरी करने का प्रयास किया है।श्री मेहता प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन एन. सी. एल. टी. में दायर किया गया था, इसलिए इसे बिना किसी प्रभावी सुनवाई के असंख्य अवसरों पर सूचीबद्ध किया गया है।39. श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा दायर स्थगन के आवेदन पर 14 जुलाई 2020 को सुनवाई हुई और बाद में 29 जनवरी 2021 को फिर से सुनवाई हुई, जिस तारीख को आवेदन खारिज कर दिया गया था।29 जनवरी 2021 के आदेश के बाद भी, रोक के लिए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करते हुए, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है।40. श्री मेहता ने जोर देकर तर्क दिया कि आई. बी. सी. का उद्देश्य समयबद्ध तरीके से दिवाला और दिवालियापन के समाधान के लिए एक प्रभावी कानूनी ढांचा स्थापित करना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और उच्च आर्थिक विकास के लिए निवेश को सुविधाजनक बनाना था।41. आई. बी. सी. की धारा 7 की उप-धारा (4) का उल्लेख करते हुए, श्री मेहता ने तर्क दिया कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को आई. बी. सी. की धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर किसी सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड से या धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के

आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाना अनिवार्य है। यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण चूक के अस्तित्व का पता नहीं लगाता है, तो वह ऐसा नहीं करने के लिए अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए बाध्य है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

42. श्री मेहता ने तर्क दिया कि इस मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार को अपने बकाया का भुगतान करने में चूक की थी।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) के संदर्भ में आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन स्वीकार करने के लिए बाध्य था। एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

जी.

एच.

43. श्री मेहता ने इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामआई**.** सी**.** आई**.** सी**.** आई**.** बैंक और अन्य **3** बहस करेंगे

कि आई. बी. सी. का उद्देश्य शीघ्र और समयबद्ध दिवाला समाधान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना था।इसलिए आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) को आई. बी. सी. के उद्देश्यों के आलोक में अनिवार्य माना जाना आवश्यक था।

बी.

44. आई. बी. सी. को अन्य बातों के साथ-साथ निगमित निकायों के उचित रूप से त्वरित, समयबद्ध दिवाला समाधान के लिए अधिनियमित किया गया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा स्विस रिबन (ऊपर) में कहा गया है।जैसा कि इस न्यायालय ने स्विस रिबन (ऊपर) में कहा है कि एक प्रभावी कानूनी ढांचे और प्रक्रिया द्वारा एक निगमित ऋणदाता का समय पर समाधान ऋण बाजार के विकास का समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा।

सी.

45. आई. बी. सी. के उद्देश्यों और कारणों के विवरण और इसकी प्रस्तावना के अनुसार, आई. बी. सी. का उद्देश्य कॉरपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालिया समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित और संशोधित करना है, ताकि ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम किया जा सके, उद्यमिता और ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जा सके, सभी हितधारकों के हितों और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों को संतुलित किया जा सके।46. आई. बी. सी. के अधिनियमन से पहले, भारत में कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो दिवाला और दिवालियापन से संबंधित हो।कंपनियों के लिए दिवाला और दिवालियापन से संबंधित प्रावधान बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 में पाए जा सकते हैं।इन कानूनों ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और उनके संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों जैसे कई मंचों के निर्माण के लिए प्रावधान किया।कंपनियों के परिसमापन का काम उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता था।

डी.

ई.

एफ.

47. दिवाला और दिवालियापन के लिए जो ढांचा मौजूद था, वह अपर्याप्त, अप्रभावी था और इसके परिणामस्वरूप अनुचित देरी हुई।बहुत विचार-विमर्श और चर्चा के बाद और विशेष रूप से दिवालियापन कानून सुधार समिति (बी. एल. आर. सी.) सहित विभिन्न समितियों की रिपोर्टों के अनुसार, आई. बी. सी. को दिवालियापन और दिवालियापन के समय पर समाधान के लिए एक प्रभावी कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

जी.

एच.

48. इन इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामआईसीआईसीआई बैंक (ऊपर), यह

न्यायाधीश नरीमन के माध्यम से बोलते हुए न्यायालय ने बी. एल. आर. सी. की रिपोर्ट का उल्लेख किया और कहाः

“16. इस स्तर पर, नवंबर 2015 की दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट में निहित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अंश हमें इस बात की अच्छी अंतर्दृष्टि देते हैं कि संहिता क्यों लागू की गई थी और किस उद्देश्य के लिए इसे लागू किया गया थाः

बी.

“.....भारत दुनिया के सबसे युवा गणराज्यों में से एक है, जिसमें सबसे अधिक गतिशील उद्यमी हैं।फिर भी ये गेम चेंजर्स और विकास चालक एक ऐसे वातावरण से अपंग हैं जो ऋण पर बकाया चुकाते समय उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को हल करने के लिए विश्व मानकों द्वारा सबसे लंबे समय और उच्चतम लागतों में से कुछ लेता है।

सी.

....भारत में प्राप्त ठीक होने की दर दुनिया में सबसे कम है।जब चूक होती है, तो मोटे तौर पर, ऋणदाता एन. पी. वी. के आधार पर ऋण के मूल्य का 20 प्रतिशत वसूल करते हैं।

डी.

जब लेनदारों को पता चलता है कि उनके पास कमजोर अधिकार हैं जिसके परिणामस्वरूप कम वसूली दर होती है, तो वे उधार देने के खिलाफ होते हैं।

ई.

दिवालियापन प्रक्रिया में प्रमुख आर्थिक प्रश्न

जब कोई फर्म (मसौदा कानून में कॉर्पोरेट देनदार के रूप में संदर्भित) चूक करती है, तो सवाल उठता है कि क्या किया जाना चाहिए।कई संभावनाओं की कल्पना की जा सकती है।एक संभावना है कि फर्म को परिसमापन में ले जाया जाए।एक अन्य संभावना ऋण पुनर्गठन पर बातचीत करना है, जहां लेनदार एन. पी. वी. के आधार पर ऋण में कमी को स्वीकार करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बातचीत का मूल्य परिसमापन मूल्य से अधिक है।एक अन्य संभावना है कि फर्म को चालू संस्था के रूप में बेचा जाए और आय का उपयोग लेनदारों को भुगतान करने के लिए किया जाए।इन व्यापक श्रेणियों की कई संकर संरचनाओं की कल्पना की जा सकती है।

एफ.

जी.

गति महत्वपूर्ण है।

दिवालियापन संहिता के काम करने के लिए गति दो कारणों से महत्वपूर्ण है।पहला, जबकि "शांत अवधि" स्वामित्व की पूरी स्पष्टता के बिना एक संगठन को चालू रखने में मदद कर सकती है।

एच.

और नियंत्रण, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं।प्रभावी नेतृत्व के बिना, फर्म क्षीण हो जाएगी और विफल हो जाएगी।देरी जितनी लंबी होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि परिसमापन ही एकमात्र जवाब होगा।दूसरा, परिसमापन मूल्य समय के साथ कम होता जाता है क्योंकि कई परिसंपत्तियाँ मूल्यह्रास की उच्च आर्थिक दर से पीड़ित होती हैं।

बी.

लेनदारों के दृष्टिकोण से, एक अच्छी प्राप्ति आम तौर पर प्राप्त की जा सकती है यदि फर्म को एक चालू संस्था के रूप में बेचा जाता है।इसलिए, जब विलम्ब परिसमापन को प्रेरित करता है, तो मूल्य विनाश होता है।इसके अलावा, परिसमापन में भी, देरी होने पर प्राप्ति कम होती है।अतः विलम्ब मूल्य विनाश का कारण बनता है।इस प्रकार, उच्च स्वास्थ्य लाभ दर प्राप्त करना मुख्य रूप से देरी के स्रोतों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के बारे में है। समिति ने दिवाला और दिवालियापन को हल करने के लिए एक नई संहिता को लागू करने से वांछित उद्देश्यों के रूप में निम्नलिखित निर्धारित किएः

सी.

डी.

(1) समाधान के लिए कम समय।(2) वसूली में कम नुकसान।

(3) विभिन्न प्रकार के ऋण उपकरणों में ऋण वित्तपोषण का उच्च स्तर।

ई.

कार्यान्वयन में नई संहिता का प्रदर्शन उपरोक्त परिणामों के उपायों पर आधारित होगा।

समिति ने नए दिवाला और दिवालियापन समाधान ढांचे को तैयार करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को चुनाः।. यह संहिता बहुत शुरुआती चरण में उद्यम की व्यवहार्यता के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेगी।

एफ.

(1) कानून में स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि उद्यम की व्यवहार्यता व्यवसाय का मामला है, और व्यवसाय के मामलों पर केवल लेनदारों और देनदार के बीच बातचीत की जा सकती है। जबकि व्यवहार्यता का आकलन लेनदारों और देनदार के बीच बातचीत के रूप में किया जाता

है, अंतिम निर्णय लेनदारों के बीच एक समझौता होना चाहिए जो दिवालियापन में नुकसान को सहन करने के लिए तैयार वित्तपोषक हैं।

जी.

एच.

157

विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

ए.

II. यह संहिता लेनदारों और देनदारों के बीच सूचना की समरूपता को सक्षम बनाएगी।

(5) कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिवालियापन और दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी बनाई जाए और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो।

बी.

(6) कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस जानकारी तक पहुंच उद्यम के सभी लेनदारों को या तो सीधे या विनियमित पेशेवर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए।

(7) कानून को इस जानकारी तक तीसरे पक्ष तक पहुंच को सक्षम बनाना चाहिए जो विनियमित पेशेवर के माध्यम से समाधान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

सी.

III. यह संहिता आर्थिक मूल्य को बेहतर ढंग से संरक्षित करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।

(8) कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धन का समय मूल्य संरक्षित है, और इन वार्ताओं में देरी करने की रणनीति से बातचीत के लिए निर्धारित समय की शुरुआत नहीं होगी।

डी.

IV. संहिता एक सामूहिक प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।

(9) कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रमुख हितधारक सामूहिक रूप से व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए भाग लेंगे।कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लेनदार जिनके पास अपनी देनदारियों को पुनर्गठित करने की क्षमता और इच्छा है, उन्हें बातचीत प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।उन सभी लेनदारों की देनदारियों को भी किसी भी बातचीत के समाधान में पूरा किया जाना चाहिए जो बातचीत की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं।

ई.

5. संहिता सभी लेनदारों के अधिकारों का समान रूप से सम्मान करेगी।

एफ.

(10) दिवाला को हल करने के अंतिम समाधान पर वोट में अपने वजन को गिनने में कानून को लेनदार के प्रकार के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए।

VI. संहिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब बातचीत व्यवहार्यता स्थापित करने में विफल रहती है, तो दिवालियापन का परिणाम बाध्यकारी होना चाहिए।

जी.

(11) कानून को ऐसे उद्यम के परिसमापन का आदेश देना चाहिए जो अव्यवहारिक पाया गया हो।वार्ता के इस परिणाम को बहुत ही असाधारण मामलों के अलावा अन्य सभी अपीलों से संरक्षित किया जाना चाहिए।

एच.

49. नया दिवाला और दिवालियापन ढांचा, अन्य बातों के साथ-साथ, एक उद्यम की व्यवहार्यता के मूल्यांकन को बहुत शुरुआती चरण में सुविधाजनक बनाने और उद्यम के आर्थिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए एक समयबद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।50. आई. बी. सी. की धारा 6 में प्रावधान है कि जहां कोई भी निगमित ऋणदाता चूक करता है, वहां एक वित्तीय ऋणदाता, एक परिचालन ऋणदाता या निगमित ऋणदाता स्वयं ऐसे निगमित ऋणदाता के संबंध में सी. आई. आर. पी. शुरू कर सकता है।

बी.

51. आई. बी. सी. की धारा 7 (1) के तहत, एक वित्तीय लेनदार, या तो स्वयं, या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से, एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है, जब कोई चूक हुई हो।चूक में न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार द्वारा बल्कि कॉर्पोरेट देनदार के किसी अन्य वित्तीय लेनदार द्वारा देय वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है।52. आई. बी. सी. की धारा 7 (2) के तहत, एक वित्तीय लेनदार को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र और तरीके से आवेदन करना आवश्यक है।एक आवेदन के साथ, वित्तीय लेनदार को सूचना उपयोगिता या ऐसे अन्य रिकॉर्ड या चूक के साक्ष्य के साथ दर्ज चूक का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है जो निर्दिष्ट किया जा सकता है, एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप

में कार्य करने के लिए प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम और कोई अन्य जानकारी जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

सी.

डी.

ई.

53. प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार द्वारा आई. बी. सी. की धारा 7 (2) के तहत वैधानिक रूप में दायर आवेदन के अवलोकन से, जिसकी एक प्रति पेपर बुक में शामिल है, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार ने अपीलार्थी के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए एन. सी. एल. टी. में आवेदन दायर किया था, न कि अन्य लेनदारों की ओर से प्रमुख बैंक के रूप में।प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार ने दावा किया कि कुल राशि Rs.553,27,99,322.78 अपीलार्थी निगमित देनदार से प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार को देय थी, जिसमें से Rs.42,83,45,538.32 ब्याज के कारण थी और आगे Rs.11,21,68,673.81 दंडात्मक ब्याज के लिए थी।मूल बकाया राशि Rs.499,22,85,110.65 थी।

एफ.

जी.

54. जब आई. बी. सी. की धारा 7 (2) के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड या ए. की उप-धारा (3) के तहत वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य साक्ष्य से चूक के अस्तित्व का पता लगाना आवश्यक है।

एच.

आई. बी. सी. की धारा 7, आवेदन प्राप्त होने की तारीख के 14 दिनों के भीतर,

55. आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए), जिस पर श्री गुप्ता और श्री मेहता दोनों द्वारा बहुत बल दिया गया है, में यह प्रावधान है कि जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) संतुष्ट है कि चूक हुई है और आई. बी. सी. की उप-धारा (2) के तहत आवेदन पूरा हो गया है और प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं है, वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकता है।यदि चूक नहीं हुई है, या आवेदन अधूरा है, या प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, तो न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) के संदर्भ में ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, लेकिन आवेदक को दोष को सुधारने का अवसर देने के बाद।56. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) दोनों ने इस आधार पर कार्यवाही की कि आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) के तहत एक आवेदन पर आवश्यक रूप से विचार किया जाना चाहिए, यदि कोई ऋण मौजूद है और निगमित देनदार ऋण के भुगतान में चूक कर रहा है।दूसरे शब्दों में, न्यायिक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) को अनिवार्य पाया।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) का विचार था कि धारा 7 (5) (ए) किसी अन्य व्याख्या को स्वीकार नहीं करती है, जिसके साथ अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) सहमत था।

बी.

सी.

डी.

57. अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के निष्कर्ष की पुष्टि की कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को केवल यह देखने की आवश्यकता थी कि क्या कोई ऋण था, और निगमित ऋणदाता ने पुनर्भुगतान करने में चूक की थी।ये दोनों पहलू, जब संतुष्ट हो जाएंगे, तो कॉर्पोरेट दिवालियापन को बढ़ावा मिलेगा।चूंकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने प्रत्यर्थी निगमित ऋणदाता के तर्क के गुण-दोष पर विचार नहीं किया, इसलिए इस अपील में एकमात्र सवाल यह है कि क्या धारा 7 (5) (ए) एक अनिवार्य या विवेकाधीन प्रावधान है।दूसरे शब्दों में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 'मई' अभिव्यक्ति का अर्थ 'होगा' के रूप में लगाया जाना है।

ई.

एफ.

58. स्विस रिबन (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने कहा कि एक कॉर्पोरेट ऋणदाता, जो लाल रंग में था, के समय पर समाधान की अनिवार्यता इंगित करती है कि कोई अन्य बाहरी मामला धारा 7 के तहत या आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत याचिका पर तेजी से निर्णय लेने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। 59.इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आई. बी. सी. में समय-सीमा का पालन करते हुए एक कॉर्पोरेट देनदार, जो संकट में है, का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए।

जी.

एच.

कोई भी बाहरी चीज रास्ते में नहीं आनी चाहिए।हालांकि, कॉर्पोरेट ऋणदाता की व्यवहार्यता और समग्र वित्तीय स्वास्थ्य बाहरी मामले नहीं हैं।

60. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने पाया कि विद्युत नियामक या बिजली प्राप्तकर्ता के साथ निगमित ऋणदाता का विवाद याचिका में शामिल मामलों के लिए बाहरी होगा। विद्युत नियामक या विद्युत प्राप्तकर्ता के साथ विवाद अधिक प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं।सवाल यह है कि क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा निगमित ऋणदाता के पक्ष में ए. पी. टी. ई. एल. के निर्णय की पूरी तरह से अवहेलना की जा सकती है, जब यह दावा किया जाता है कि पुरस्कार के संदर्भ में, 1,730 करोड़ रुपये की राशि, यानी वित्तीय ऋणदाता के दावे से कहीं अधिक राशि, निगमित ऋणदाता द्वारा प्राप्त की जा सकती है।हमारे विचार में, उत्तर अनिवार्य रूप से नकारात्मक है।

बी.

सी.

61. हमारे विचार में, अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को केवल यह देखने की आवश्यकता थी कि क्या कोई ऋण था और निगमित ऋणदाता ने ऋण का पुनर्भुगतान करने में चूक की थी, और ये दोनों पहलू, यदि संतुष्ट हो जाते हैं, तो सी. आई. आर. पी. को प्रेरित करेंगे। वित्तीय ऋण का अस्तित्व और उसके भुगतान में चूक ने केवल वित्तीय लेनदार को सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को वैधानिक नियंत्रण के तहत संचालित एक बिजली उत्पादन कंपनी के खिलाफ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की व्यवहार्यता, इस न्यायालय में लंबित एम. ई. आर. सी. की अपील का प्रभाव, ऊपर निर्दिष्ट ए. पी. टी. ई. एल. का आदेश और अपने मौजूदा प्रबंधन के तहत निगमित ऋणदाता के सभी वित्तीय स्वास्थ्य और व्यवहार्यता सहित प्रासंगिक कारकों पर अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता थी।

डी.

ई.

62. जैसा कि श्री गुप्ता ने बताया, विधानमंडल ने अपने विवेक में आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) में "मई" अभिव्यक्ति का उपयोग करने का विकल्प चुना है। जब एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) संतुष्ट होता है कि एक चूक हुई है और एक वित्तीय लेनदार का आवेदन पूरा हो गया है और प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक

कार्यवाही नहीं है, तो वह आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार कर सकता है।विधायी आशय का अर्थ क़ानून में उपयोग की गई भाषा के अनुसार किया जाता है।

एफ.

जी.

63. आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) के अर्थ और इरादे का पता आई. बी. सी. की प्रकृति और डिजाइन के संदर्भ में प्रावधान के वाक्यांश से लगाया जाना है। इस न्यायालय को उस प्रावधान के प्रभाव पर विचार करना होगा जिसे निर्देशिका या विवेकाधीन माना जा रहा है।

एच.

161

विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

ए.

64. आम तौर पर "मे" शब्द निर्देशिका है।'स्वीकार कर सकता है' अभिव्यक्ति स्वीकार करने के लिए विवेक प्रदान करती है।इसके विपरीत, "होगा" शब्द का उपयोग एक अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन करता है।"होगा" शब्द का उपयोग इस धारणा को जन्म देता है कि एक प्रावधान अनिवार्य है।हालाँकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्रावधान के अनिवार्य होने के बारे में प्रथम दृष्टया धारणा को अन्य विचारों जैसे कि अधिनियम के दायरे और निर्माण से होने वाले परिणामों से खारिज किया जा सकता है।

बी.

65. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी क़ानून की व्याख्या का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत शाब्दिक व्याख्या का नियम है, जैसा कि

इस न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और

ओआरएस। **4** यदि आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **7 (5) (**ए**)** का शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** टी**.)** को विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

सी.

66. हीरालाल रतनलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **5** में**,** यह न्यायालय

आयोजितः-

“22. ... एक सांविधिक प्रावधान के अर्थ में, निर्माण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम साहित्यिक निर्माण है।शुरुआत में हमें बस इतना देखना है कि वह प्रावधान क्या कहता है?यदि

प्रावधान स्पष्ट है और यदि उस प्रावधान से विधायी इरादा स्पष्ट है, तो हमें कानूनों के निर्माण के अन्य नियमों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है।विधियों के निर्माण के अन्य नियमों को तभी सहायता के लिए बुलाया जाता है जब विधायी इरादा स्पष्ट नहीं होता है।"

डी.

ई.

67. बी**.** प्रेमानंद बनाम मोहन कोइकल **6** में**,** इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया**:-**

"9. इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि व्याख्या की प्रत्येक प्रणाली में एक क़ानून की व्याख्या का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत व्याख्या का शाब्दिक नियम है।व्याख्या के अन्य नियम जैसे कि शरारत नियम, उद्देश्यपूर्ण व्याख्या, आदि का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब किसी क़ानून के सादे शब्द अस्पष्ट हों या कोई बोधगम्य परिणाम न दे या यदि शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए तो क़ानून के उद्देश्य को ही रद्द कर देगा।जहाँ किसी क़ानून के शब्द बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट हैं, वहाँ शाब्दिक नियम के अलावा व्याख्या के सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया जा सकता है, स्वीडिश मैच एबी बनाम एस. ई. बी. आई. [(2004) 11 एस. सी. सी. 641]।"

एफ.

जी.

4 (2014) 2 एससीसी 1 (पैरा 14) 5 (1973) 1 एससीसी 216 6 (2011) 4 एससीसी 266

एच.

68. ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (ऊपर) में,

इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 (1) में "होगा" शब्द के उपयोग का अर्थ लगाया और अभिनिर्धारित किया कि धारा 154 (1) संज्ञेय अपराध की जानकारी प्राप्त होने पर प्राथमिकी के अनिवार्य पंजीकरण को अभिनिर्धारित करती है।हालाँकि, यदि दी गई जानकारी एक संज्ञानात्मक अपराध का खुलासा नहीं करती है, तो प्रारंभिक जांच का आदेश दिया जा सकता है, और यदि जांच एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, तो प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।

बी.

69. जैसा कि श्री गुप्ता ने तर्क दिया, यदि यह विधायी इरादा होता कि आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) एक अनिवार्य प्रावधान होना चाहिए, तो विधानमंडल ने 'होगा' शब्द का उपयोग किया होता, न कि 'हो सकता है' शब्द का।आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) में कोई

अस्पष्टता नहीं है। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब किसी क़ानून के सादे शब्द अस्पष्ट हों या यदि शाब्दिक रूप से समझा जाए, तो प्रावधान क़ानून के उद्देश्य को रद्द कर देगा या अन्यथा एक बेतुका परिणाम की ओर ले जाएगा।इस मामले में, शाब्दिक निर्माण के नियम से अलग होने का कोई ठोस कारण नहीं है।

सी.

डी.

70. आई. बी. सी. की धारा 8 एक परिचालन लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से संबंधित है।जिस प्रक्रिया द्वारा एक वित्तीय लेनदार सी. आई. आर. पी. शुरू कर सकता है और जिस प्रक्रिया द्वारा एक परिचालन लेनदार सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदन कर सकता है, उसके बीच ध्यान देने योग्य अंतर हैं। 71.प्रचालन लेनदार को, चूक की स्थिति में, निगमित देनदार पर, अवैतनिक प्रचालन ऋण की मांग सूचना, या निगमित देनदार के चूक में शामिल राशि के भुगतान की मांग करने वाले चालान की एक प्रति देने की आवश्यकता होती है।माँग सूचना या चालान की प्रति प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर, निगमित देनदार दावे के संबंध में या अवैतनिक परिचालन ऋण के भुगतान के संबंध में किसी विवाद के अस्तित्व के बारे में परिचालन लेनदार की सूचना खींचकर जवाब दे सकता है।

ई.

एफ.

72. धारा 9 उस तरीके और तरीके को निर्धारित करती है जिसके द्वारा एक परिचालन लेनदार सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन कर सकता है। भुगतान की मांग करने वाले नोटिस या चालान की डिलीवरी की तारीख से दस दिन की समाप्ति के बाद, यदि परिचालन लेनदार को कॉर्पोरेट देनदार से भुगतान या विवाद की सूचना नहीं मिलती है, तो परिचालन लेनदार सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है।

जी.

73. आई. बी. सी. की धारा 9 की उप-धारा (5) में लिखा हैः- ए.

एच.

“9(5) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, एक आदेश द्वारा

(i) आवेदन स्वीकार करें और इस तरह के निर्णय को परिचालन लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार को सूचित करें यदि -

बी.

(क) उप-धारा (2) के तहत किया गया आवेदन पूरा हो गया है; (ख) अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया गया है; (ग) निगमित देनदार को भुगतान के लिए चालान या नोटिस परिचालन लेनदार द्वारा दिया गया है;

सी.

(घ) प्रचालन लेनदार द्वारा विवाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है या सूचना उपयोगिता में विवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है; और

(ङ) उप-धारा (4), यदि कोई हो, के तहत प्रस्तावित किसी भी समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

डी.

ii) आवेदन को अस्वीकार कर दें और ऐसे निर्णय को परिचालन लेनदार और निगमित देनदार को सूचित करें, यदि-(ए) उप-धारा (2) के तहत किया गया आवेदन अधूरा है;

ई.

(बी) अवैतनिक परिचालन ऋण का भुगतान किया गया है; (सी) लेनदार ने कॉर्पोरेट देनदार को भुगतान के लिए चालान या नोटिस नहीं दिया है;

(घ) परिचालन लेनदार द्वारा विवाद की सूचना प्राप्त की गई है या सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है; या

एफ.

(ई) किसी भी प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है:

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, खंड (ii) के उपखंड (क) के तहत एक आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर आवेदक को अपने आवेदन में दोष को सुधारने के लिए एक नोटिस देगा।"

जी.

एच.

74. आई. बी. सी. की धारा 9 की उप-धारा (5) में प्रावधान है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.), धारा 9 की उप-धारा (2) के तहत एक परिचालन लेनदार के आवेदन की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर, आवेदन को स्वीकार करेगा और परिचालन लेनदार और निगमित देनदार को निर्णय के बारे में सूचित करेगा, बशर्ते कि आई. बी. सी. की धारा 9 (5) (i) के खंड (ए) से (ई) में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाए।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को आई. बी. सी. की धारा 9 (5) (ii) के खंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में परिचालन लेनदार के आवेदन को अस्वीकार करना चाहिए।

बी.

75. उल्लेखनीय है कि विधानमंडल ने अपने विवेक में एक निगमित ऋणदाता के खिलाफ एक वित्तीय लेनदार द्वारा शुरू किए गए सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदन के संबंध में आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) में 'मे' शब्द का उपयोग किया है, लेकिन एक परिचालन लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से संबंधित आई. बी. सी. की धारा 9 (5) के लगभग समान प्रावधान में 'विल' अभिव्यक्ति का उपयोग किया है।

सी.

76. तथ्य यह है कि विधानमंडल ने आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) में 'मे' का उपयोग किया है, लेकिन एक अलग शब्द, यानी धारा 9 (5) (ए) के अन्यथा लगभग समान प्रावधान में 'विल' का उपयोग किया है, यह दर्शाता है कि दोनों प्रावधानों में 'विल' और 'विल' का एक अलग अर्थ है।यह स्पष्ट है कि विधानमंडल का इरादा आई. बी. सी. की धारा 9 (5) (ए) को अनिवार्य और आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) को विवेकाधीन बनाना था।आई. बी. सी. की धारा 9 (2) के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए एक परिचालन लेनदार के आवेदन को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना आवश्यक है यदि आवेदन हर तरह से पूरा है और आई. बी. सी. और उसके तहत नियमों और विनियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, भुगतान के लिए नोटिस या चालान परिचालन लेनदार द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को दिया गया है और परिचालन लेनदार द्वारा विवाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया जाता है।आई. बी. सी. एक परिचालन लेनदार के बकाया को चुकाने में बेईमानी या जानबूझकर विफलता को स्वीकार नहीं करता है।

डी.

ई.

एफ.

77. दूसरी ओर, एक वित्तीय लेनदार द्वारा आवेदन के मामले में, जो सभी वित्तीय लेनदारों की ओर से प्रतिनिधि क्षमता में कार्यवाही भी शुरू कर सकता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की शीघ्रता की जांच कर सकता है, जिसमें समग्र वित्तीय स्वास्थ्य और कॉर्पोरेट ऋणदाता की व्यवहार्यता शामिल है।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार पर वित्तीय लेनदार के आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकता है।

जी.

एच.

165

विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

ए.

78. विधायिका ने वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के बीच सचेत रूप से अंतर किया है, क्योंकि निवेश और वित्तपोषण के व्यवसाय में वित्तीय लेनदारों और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के व्यवसाय में परिचालन लेनदारों के बीच एक जन्मजात अंतर है।वित्तीय ऋण आमतौर पर सुरक्षित होता है और बहुत लंबी अवधि का होता है।ऐसे क्रेडिट, जो अक्सर दीर्घकालिक क्रेडिट होते हैं, जिन पर कॉर्पोरेट देनदार का संचालन निर्भर करता है, को परिचालन ऋणों के बराबर नहीं माना जा सकता है जो आमतौर पर असुरक्षित, कम अवधि के और कम राशि के होते हैं।वित्तीय लेनदार की वित्तीय ताकत और व्यवसाय की प्रकृति की तुलना वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में लगे एक परिचालन लेनदार से नहीं की जा सकती है।स्वीकृत देय राशि का भुगतान न करने का प्रभाव एक वित्तीय लेनदार की तुलना में एक परिचालन लेनदार पर कहीं अधिक गंभीर हो सकता है।

बी.

सी.

79. जैसा कि ऊपर देखा गया है, वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों की वित्तीय ताकत और व्यवसाय की प्रकृति अलग-अलग होने के साथ-साथ वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के साथ समझौतों/अनुबंधों की अवधि और शर्तें भी, एक परिचालन लेनदार के कहने पर सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से संबंधित आई. बी. सी. में प्रावधान, जिसका बकाया निर्विवाद है, कठोर और लचीले हैं।यदि परिचालन लेनदार के खिलाफ बकाया स्वीकार किया जाता है, तो कॉर्पोरेट देनदार को वही भुगतान करना होगा।यदि ऐसा नहीं होता है, तो सी. आई. आर. पी. शुरू की जानी चाहिए।वित्तीय ऋण के मामले में थोड़ा अधिक लचीलापन होता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को वित्तीय लेनदार के आवेदन को स्वीकार करने का विवेकाधिकार दिया गया है।यदि तथ्यों और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, तो

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण प्रवेश को स्थगित रख सकता है या आवेदन को अस्वीकार भी कर सकता है।बेशक, किसी आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, वित्तीय लेनदार को सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए नए सिरे से आवेदन करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है, अगर उसका बकाया भुगतान नहीं किया जाता है।

डी.

ई.

एफ.

80. आई. बी. सी., जैसा कि ऊपर देखा गया है, का उद्देश्य निगमित ऋणदाताओं को पुनर्गठित करने और निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से दिवालिया होने का समाधान करने की दृष्टि से कानूनों को समेकित और संशोधित करना है।

जी.

81. "दिवाला और दिवालियापन संहिता" शीर्षक यह स्पष्ट करता है कि क़ानून दिवाला और दिवालियापन से संबंधित है और/या इससे निपटता है।निश्चित रूप से आई. बी. सी. का उद्देश्य सी. आई. आर. पी. की शुरुआत करके अपने वित्तीय ऋणों के पुनर्भुगतान में अस्थायी रूप से चूक करने वाली विलायक कंपनियों को दंडित करना नहीं है। इसलिए आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है।

एच.

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत वित्तीय लेनदार के आवेदन को स्वीकार करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) पर।
82.न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) यह समझने में विफल रहा कि सी. आई. आर. पी. की समयबद्ध शुरुआत और पूरा होने का सवाल केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब कंपनियां दिवालिया या दिवालिया हों और अन्यथा नहीं।इसके अलावा समय सीमा केवल सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू होती है न कि उसे दाखिल करने की तारीख से।

बी.

83. स्विस रिबन (ऊपर) में आई. बी. सी. के अधिकारों पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

सी.

“43. एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों या ऐसे व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से संहिता लागू कर सकता है जिन्हें "चूक" होने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संहिता ऐसे व्यक्तियों द्वारा निगमित देनदार के किसी अन्य वित्तीय लेनदार को किए गए चूक के संबंध में शुरू की जा सकती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बार शुरू होने के बाद, संहिता के तहत समाधान प्रक्रिया एक सामूहिक कार्यवाही है जो पहली बार में निगमित देनदार के पुनर्वास का प्रयास करती है।धारा 7 (4) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, निर्धारित अवधि के भीतर, वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाएगा; और धारा 7 (5) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को संतुष्ट होना होगा कि एक चूक हुई है, जब वह आदेश द्वारा, आवेदन को स्वीकार कर सकता है, या आवेदन को खारिज कर सकता है यदि ऐसा चूक नहीं हुआ है।दूसरी ओर, धारा 8 और 9 के तहत, एक परिचालन लेनदार, चूक होने पर, एक मांग सूचना दे सकता है जिसका जवाब निर्दिष्ट अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्तर पर, यदि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो निगमित देनदार यह साबित कर सकता है कि ऋण विवादित है।जब ऋण इतना विवादित होता है, तो इस तरह के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।”

डी.

ई.

एफ.

जी.

84. इस न्यायालय के स्विस रिबन (उपरोक्त) के निर्णय, जिसे आई. बी. सी. के अधिकारों को चुनौती देने के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, इस सवाल पर विचार नहीं करता है कि क्या आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) ए है।

एच.

अनिवार्य या विवेकाधीन।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक निर्णय कानून के सवाल के लिए एक मिसाल है जो उठाया और तय किया जाता है।निर्णय में उपयोग की गई भाषा को क़ानून की तरह नहीं पढ़ा जा सकता है।किसी भी मामले में, निर्णय में शब्दों और वाक्यांशों को संदर्भ से बाहर एक संक्षिप्त तरीके से नहीं समझा जा सकता है।85. विधानमंडल ने अपने विवेक में आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने की तारीख और समय सीमा की गणना के उद्देश्य से ऐसे आवेदन के प्रवेश की तारीख के बीच अंतर किया है।सी. आई. आर. पी. की शुरुआत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन के प्रवेश की तारीख से होती है न कि उसे दाखिल करने की तारीख से।आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन स्वीकार करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है।86. भले ही आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को विवेकाधीन शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन ऐसी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है।यदि तथ्य और परिस्थितियाँ किसी विशेष तरीके से विवेकाधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करती हैं, तो विवेकाधिकार का प्रयोग उस तरीके से करना होगा।

बी.

सी.

87. आम तौर पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को आई. बी. सी. की आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन स्वीकार करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना होगा और ऋण के भुगतान में वित्तीय ऋण और कॉर्पोरेट देनदार की ओर से चूक के संतोष पर सी. आई. आर. पी. शुरू करना होगा, जब तक कि याचिका को स्वीकार नहीं करने के लिए अच्छे कारण न हों।

डी.

88. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को निगमित ऋणदाता द्वारा प्रवेश के खिलाफ बनाए गए आधारों पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा।उदाहरण के लिए, जब निगमित ऋणदाता के पक्ष में किसी अधिनिर्णय या डिक्री के अस्तित्व के आधार पर प्रवेश का विरोध किया जाता है, और अधिनिर्णय/अवमूल्यन राशि ऋण की राशि से अधिक हो जाती है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को वित्तीय ऋणदाता के आवेदन के प्रवेश को स्थगित रखने के लिए आई. बी. सी. की धारा 7 (5) (ए) के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना होगा, जब तक कि ऐसा न करने का अच्छा कारण न हो।उदाहरण के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण वित्तीय लेनदार के आवेदन को स्वीकार कर सकता है, किसी भी पुरस्कार या डिक्री के बावजूद, यदि पुरस्कार/डिक्री राशि प्राप्ति में असमर्थ है।उदाहरण केवल उदाहरणात्मक है।

ई.

एफ.

89. इस मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने केवल अपीलार्थी के मामले को दरकिनार कर दिया है कि अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में 1,730 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई थी, इस सरसरी अवलोकन के साथ कि अपीलार्थी और बिजली प्राप्तकर्ता के बीच या अपीलार्थी और बिजली नियामक आयोग के बीच यदि कोई विवाद है तो वह महत्वहीन था।

जी.

एच.

90. हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि एक बार जब यह पाया गया कि ऋण मौजूद है और एक निगमित ऋणदाता ऋण के भुगतान में चूक कर रहा है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के पास आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

बी.

91. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, अपील की अनुमति है।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा पारित 29 जनवरी 2021 के विवादित आदेश और अपीलार्थी की अपील को अपास्त करनाने वाले अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा पारित 2 मार्च 2021 के विवादित आदेश को अपास्त करना दिया गया है।एन. सी. एल. टी. कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर फिर से विचार करेगा।

सी.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.